

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत चम्पा कुमारी पिता श्री अनिल साव निवासी ग्राम: कुण्डी, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सराधु, देवलगडा एवं कुण्डी थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 256, 51, 278, 21, 05, 22 और 02 के अधीन प्लॉट सं. 682, 669, 680, 459, 699(P), 662, 178, 101, 30, 100, 36, 278 और 296; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती और गैरमजूरवा (जंगल झारी) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: सराधु, देवलगडा, एवं कुण्डी थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 256, 51, 278, 21, 05, 22 और 02 के अधीन प्लॉट सं. 682, 669, 680, 459, 699(P), 662, 178, 101, 30, 100, 36, 278 और 296; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती और गैरमजूरवा (जंगल झारी) भूमि जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत चम्पा कुमारी पिता श्री अनिल साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं

दि 21/12/21
36/12/21

